शिक्षण शुल्क छूट योजना (TFW) के अंतर्गत प्रवेश

एम.बी.ए.(फुल टाईम)

- जिन संस्थानों ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त की है एवं विगत वर्ष में प्रवेश क्षमता के 30 प्रतिशत तक स्थानों पर प्रवेश हुए है, उन संस्थानों में 5 प्रतिशत अधिसंख्य सीटें शिक्षण शुल्क छूट योजना में उपलब्ध रहेंगी।
- शिक्षण शुल्क छूट योजनांतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा।
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली की इस योजना के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति/शासन द्वारा संबंधित संस्थानों के लिये निर्धारित शिक्षण शुल्क की सम्पूर्ण छूट दी जावेगी। शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा वहन किए जाएंगे।
- यह योजना मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिये है जिनके परिवार की समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय ₹ 8.0 लाख रूपये से अधिक नही हो।